दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार,23 अक्टूबर,2007/कार्तिक 01,1929(शक)

संख्या- 223

(6)

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त,नई दिल्ली जिला से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री विजय जौली को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 10.10.2007 को पूर्वा. 11.40 बजे, 3 मोती लाल नेहरू मार्ग,थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 4.10 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Tuesday, 23rd October, 2007/01 Kartika, 1929 (Saka)

No. 223

Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, Distt. New Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Vijay Jolly, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from 3, Moti Lal Nehru Marg, P.S Parliament Street at 11.40 A.M. on 10.10.2007.

He was released at 04.10 P.M.from the same place on the same date."

Siddharath Rao Secretary